



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25012023-243205
CG-DL-E-25012023-243205

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 50]

No. 50]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 25, 2023/माघ 5, 1944

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 25, 2023/MAGHA 5, 1944

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2023

सा.का.नि. 51(अ).—केन्द्रीय सरकार, सिक्का-निर्माण अधिनियम, 2011 (2011 का 11) की धारा 24 की उपधारा (2) के खंड (घ) और खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सिक्का-निर्माण (राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना के 75 वर्ष के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी करना) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सिक्के का मूल्यवर्ग.- “राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना के 75 वर्ष” के अवसर पर केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार के अधीन जारी करने के लिए एक साल में केवल पचहत्तर रुपये मूल्य वर्ग का सिक्का ढाला जाएगा।

3. सिक्के की विमा और संरचना.- नियम 2 में उल्लिखित उपरोक्त मूल्य वर्ग के सिक्के, निम्नलिखित विमाओं और संरचना के अनुरूप होंगे, अर्थात्:-

सिक्के का मूल्य वर्ग	आकार और बाह्य व्यास	दांतेदार किनारों की संख्या	धातु संरचना
(1)	(2)	(3)	(4)
पचहत्तर रुपये	वृत्ताकार 44 मिलीमीटर	200	चतुर्थक मिश्र धातु चांदी - 50 प्रतिशत तांबा - 40 प्रतिशत निकिल - 05 प्रतिशत जस्ता - 05 प्रतिशत

4. डिज़ाइन.- सिक्के का डिज़ाइन इन नियमों की पहली अनुसूची में यथा-विनिर्दिष्ट होगा।

5. मानक वजन और अनुज्ञात उपचार .- राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना के 75 वर्ष के अवसर पर स्मरणोत्सव मनाने के लिए उपरोक्त मूल्यवर्ग के ढाले गए सिक्के का मानक वजन और ऐसे सिक्के को बनाने में अनुज्ञात उपचार वह होगा जो इन नियमों की दूसरी अनुसूची में यथा-विनिर्दिष्ट है।

**प्रथम अनुसूची
(नियम 4 देखें)**

पचहत्तर रुपये

अग्र भाग:

सिक्के के मुख भाग पर मध्य में अशोक स्तम्भ का सिंह स्तम्भ शीर्ष होगा, जिसके नीचे “सत्यमेव जयते” लेख उत्कीर्णित होगा, उसकी बाईं परिधि पर देवनागरी लिपि में “भारत” शब्द और दाईं परिधि पर अंग्रेजी में “INDIA” शब्द होगा। सिंह स्तम्भ शीर्ष के नीचे रुपये का प्रतीक “₹” और अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य “75” भी होगा।

पृष्ठ भाग:

सिक्के के इस भाग के मध्य में राष्ट्रीय कैडेट कोर का प्रतीक चिन्ह होगा। प्रतीक चिन्ह के ठीक ऊपर देवनागरी लिपि में हीरक जयंती और अंग्रेजी में **DIAMOND JUBILEE** लिखा होगा। सिक्के की ऊपरी परिधि पर देवनागरी लिपि में “राष्ट्रीय कैडेट कोर” लिखा होगा और सिक्के की निचली परिधि पर अंग्रेजी में “NATIONAL CADET CORPS” वर्णित होगा। प्रतीक चिन्ह के दाईं और बाईं तरफ अंतर्राष्ट्रीय अंकों में वर्ष “1948” और “2023” लिखा होगा।

**दूसरी अनुसूची
(नियम 5 देखें)**

सिक्के का मूल्यवर्ग	मानक वजन	अनुज्ञात उपचार	
		संयोजन में	मानक वजन में
(1)	(2)	(3)	(4)
पचहत्तर रुपये	35 ग्राम	चांदी के लिए 1/500वां हिस्सा की वृद्धि या कमी अर्थात् चांदी का अंश प्रति 1000 में 498 से 502 के बीच हो सकेगा।	1/100वां हिस्सा की वृद्धि या कमी अर्थात् वजन 34.65 ग्राम से 35.35 ग्राम तक हो सकता है।

[फा. सं. 02/01/2023- सिक्का]

अपर्णा भाटिया, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economics Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2023

G.S.R. 51(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (d) and (e) of sub-section (2) of section 24 of the Coinage Act, 2011(11 of 2011), the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Coinage (Issue of Commemorative Coin on the Occasion of 75 Years of Raising of National Cadet Corps) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Denomination of coin.- The coin of Seventy-five Rupees denomination shall only be coined at the Mint for issue under the authority of the Central Government on the occasion of “75 years of raising of National Cadet Corps”.

3. Dimension and composition of coin.- The coin of the above denomination mentioned in rule 2 shall conform to the following dimensions and composition, namely: -

Denomination of coin	Shape and outside diameter	Number of serrations	Metal composition
(1)	(2)	(3)	(4)
Seventy-five Rupees	Circular 44 millimeter	200	Quaternary Alloy Silver - 50 per cent. Copper - 40 per cent. Nickel - 05 per cent. Zinc - 05 per cent.

4. Design.- The design of the coin shall be as specified in the First Schedule to these rules.

5. Standard weight and remedy allowed.- The standard weight of the coin of above denomination coined to commemorate the occasion of 75 years of raising of National Cadet Corps and the remedy allowed in making of such coin shall be as specified in the Second Schedule to these rules.

First Schedule
(See rule 4)

SEVENTY-FIVE RUPEES

OBVERSE:

This face of the coin shall bear the Lion Capital of Ashoka Pillar in the centre with the legend “सत्यमेव जयते” inscribed below, flanked on the left periphery with the word “भारत” in Devnagari script and on the right periphery with the word “INDIA” in English. It shall also bear the Rupee symbol “₹” and denominational value “75” in the international numerals below the Lion Capital.

REVERSE:

This face of coin shall bear the logo of National Cadet Corps in the centre of the coin. The inscription “हीरक जयंती” in Devnagari script and “DIAMOND JUBILEE” in English shall be written above the image of the logo. The inscription “राष्ट्रीय कैडेट कोर” in Devnagari script shall be written on the upper periphery and the inscription “NATIONAL CADET CORPS” in English is depicted on the lower periphery of the coin. The year “1948” and “2023” in international numerals shall be written besides the left and right side of the logo.

Second Schedule
(See rule 5)

Denomination of coin	Standard weight	Remedy allowed	
		In composition	In standard weight
(1)	(2)	(3)	(4)
Seventy-five Rupees	35 Grams	1/500 th plus or minus for Silver, that is to say the Silver content may vary from 498 to 502 per 1000.	1/100 th plus or minus, that is to say weight could be 34.65 grams to 35.35 grams.

[F. No. 02/01/2023-Coin]

APARNA BHATIA, Economic Adviser